<u>उत्तर प्रदेश शासन</u>
<u>पर्यटन अनुभाग</u>
संख्या-319/2023 /1674 /41-2023-298(बजट)/2021
लखनऊ दिनांक 30 मार्च, 2023

<u>संख्या-314/2023/1674/001-41-2023</u>-298-Budget-**<u>2021, दिनांक 30 मार्च, 2023</u>**

<u>का शुद्धि पत्र</u>

जनपद गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर परिसर में आगन्तुक पर्यटकों की सुविधा व सुरक्षा के दृष्टिगत ओपेन एयर थियेटर, बरामदा, ग्रीन रूम, सर्विस रूम, आर0सी0सी0 पार्किंग वॉच टावर के कार्य की वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी जारी शासनादेश संख्या-314/2023/1674/001-41-2023-**298-Budget**-2021, दिनांक 30 मार्च, 2023 के पृष्ठांकन के बिन्दु सं0-04 में मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एततद्वारा अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2023 संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4- **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।**
5- श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोरखपुर।
8- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोरखपुर।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, गोरखपुर/आहरण वितरण अधिकारी, गोरखपुर।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in